असंशोधित

14 JUL 1992

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बि०स०मु० (एन०ए०) 745—मोनो—500—19-2-1991—स०स०र्गे ड़ु

टर्न-13/तिवारी/ललन
14•7•92

तारांकित प्रश्न संख्या-956

श्री रामचन्द्र पूर्वे(मंत्री): (1)- विभागीय पत्रांक-268 दिनांक 29•6•92 एवं स्मार पत्र-316 दिनांक 7•7•92 के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक,कटिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी है ।

(2)- उत्तर के खंड(1) में अंकित है ।

(3)- उत्तर के खंड(1) में अंकित है ।

(4)- विभागीय पत्रांक 376 दिनांक 10•7•92 के द्वारा जिला पदाधिकारी,कटिहार को निर्देश दिया गया है कि जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति विद्यालय भवनों के मरम्मती हेतु निर्णय करते समय प्रश्नाधीन विद्यालयों के संबंध में भी नियमानुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर भवन को मरम्मती करावें ।

श्री रामप्रकाश महतो: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या 15 लाख रूपया कटिहार जिला में पड़ा हुआ है विद्यालय भवनों की मरम्मती के लिए और यह 1990 से लेकर आजतक क्यों नहीं इसपर खर्च हुआ ? इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कब-कब और कितना -कितना रूपया मरम्मती पर इन्होंने खर्च किया है कटिहार जिला में ? अध्यक्ष महोदय, 15 लाख रूपया पिछले तीन सालों से कटिहार जिला में पड़ा हुआ है विभिन्न पत्रांक संख्या के आधार पर कभी 6 लाख रूपया,कभी 8 लाख रूपया और कभी 1 लाख 10 हजार दिया गया है । सभी पत्रों में एक अलग से सर्कुलर है कि प्राईमरी स्कूल के लिए 10 हजार, 15 हजार मिडिल स्कूल के लिए और बेसिक स्कूल के लिए 25 हजार रूपया मरम्मती के लिए दिया जाता है । मैं कल ही कटिहार से आया हूँ । अध्यक्ष महोदय,जितने गांव का मैंने प्रश्न में उल्लेख किया है इसकी जांच करवा लीजिए । इसमें से किसी विद्यालय भवन का मरम्मत नहीं ... कराया गया है और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो किसी

भी दिन उसका भवन गिर जा सकता है इसलिए आज से छ: महीने पहले यानी 6 जनवरी, 1992 को जब जिला शिक्षा योजना समिति की बैठक हुई थी तो डी·डी·सी· और डी·डी·ओ· से मैंने कहा था ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे [मंत्री]: अध्यक्ष महोदय, इनका कटिहार का मामला है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के बारे में जितना पैसा दिया हूँ पूरे राज्य में उसको मैं बतला देना चाहता हूँ । 89-90 में हमलोगों ने 1करोड़ 55 लाख रूपया भेजा है उसके बाद 90-91 में 1 करोड़ 64 लाख रूपया भेजा है और 91-92 में 1करोड़ 56 लाख रूपया भेजा है। यह पूरे बिहार के सभी जिलों में भेजा है । मैं हर माननीय सदस्य को उनके क्षेत्र में कितना पैसा दिया हूँ इसकी सूची बटवा दूँगा । यह मैं एक सप्ताह के भीतर बटवा दूँगा ।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार का मापदंड है कि प्राईमरी स्कूल और मध्य स्कूल की मरम्मती में 15 हजार रूपया देंगे और बेसिक स्कूल के लिए 25 हजार रूपया देंगे तो इस संबंध में सूची बटवाने से क्या फायदा ।

श्री लाल बाबू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, जिस विद्यालय भवनों की मरम्मती में 5 हजार रूपया की जरूरत है उसके लिए 15 हजार रूपया देने की क्या आवश्यकता है और किसी विद्यालय में 25 हजार रूपये की जरूरत है और 15 हजार रूपया देंगे तो कैसे उसकी मरम्मती होगी ?

श्री रामचन्द्र पूर्वे [मंत्री]: अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला में जिला प्रारंभिक शिक्षा समीति है। इसके द्वारा जितना जरूरत है उतना ही दिया जाता है । माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए किस जिला को कितनी-कितनी राशि दी गयी है इसकी सूचना को हम बटवा देते हैं ।

{ व्यवधान }

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ इनके यहाँ एक स्थापना समिति है जो ट्रांसफर-पोस्टिंग करती है। इस स्थापना समिति की बैठक जिला में नहीं होती है। मैं मांग करता हूँ कि इस स्थापना समिति में हर जिला में दो विधायक को ये रखें और जिला योजना समिति जिसके चेयरमैन कलक्टर होते हैं इसमें भी माननीय सदस्यों को रखा जाय तभी काम हो सकता है ।

{ व्यवधान }

श्री रामप्रकाश महतो: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ । मैंने कटिहार जिला के बारे में प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष: मंत्री जी ने कहा कि पूरी सूची बनाकर वे दे देंगे ।

श्री रामप्रकाश महतो: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न का जवाब चाहताहूँ ।

{ व्यवधान }

श्री शिवाधार पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि स्कूलों के भवन मरम्मती के लिए जितने पैसे भेजे गये हैं क्या सरकार बताइयेगी कि कितने स्कूल भवन की मरम्मती करायी गयी है ?

{ व्यवधान }

श्री अवध बिहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ और मैं सरकार को जानकारी देना चाहता हूँ कि अढ़ाई वर्ष हो गये, जो पैसा इन्होंने भेजा है उसका डिस्ट्रीब्यूसन हो गया है। उस जिला शिक्षा योजना समिति में डी.डी.सी., कलक्टर, डी.डी.ओ. और डी.एस.ई. हैं । वे इन पैसों का बटवारा ठीकढंग से नहीं करते हैं और इस संबंध में वे लोग नीति तय नहीं कर पाये हैं । इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जिला में एक और समिति है जो ट्रांसफर पोस्टिंग करती है लेकिन उसमें कोई जन-प्रतिनिधी नहीं हैं ।

{क्रमश:}